संघ लोक सेवा आयोग

सम्मिलित भू-वैज्ञानिक एवं भूविज्ञानी परीक्षा, 2019 उम्मीदवारों को विस्तृत आवेदन-प्रपत्र भरने के बारे में अनुदेश

उम्मीदवारों को चाहिए कि वे ऑनलाइन विस्तृत आवेदन प्रपत्र भरने से पूर्व इन अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। ऑनलाइन विस्तृत आवेदन प्रपत्र (डीएएफ) भरने से पूर्व उम्मीदवार नीचे उल्लिखित अपने संगत मूल दस्तावेजों को 200 डीपीआई ग्रे स्केल में स्कैन कर लें और उसे अधिकतम 1 एमबी तक की अलग अलग पीडीएफ फाइल में परिवर्तित कर लें। इस प्रकार तैयार की गई पीडीएफ फाइल पासवर्ड के जरिए सुरक्षित न हो और डीएएफ को ऑनलाइन सब्मिट करते समय ही इसे अपलोड किया जाना चाहिए।

- (I) आयु संबंधी प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति।
- (II) आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए परीक्षा के नोटिस के पैरा 3(iii) और भारत के राजपत्र दिनांक 20 मार्च, 2019 में प्रकाशित परीक्षा की नियमावली के नियम 9 में निर्धारित शैक्षिक अर्हता दर्शाने वाले प्रमाण-पत्रों की स्कैन की गई प्रति।
- (III) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस से संबंधित होने के दावे के समर्थन में प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति (जहां कहीं लागू हो)।
- (IV) अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार के रूप में छूट प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवारों के मामले में उनके क्रीमी लेयर से संबद्ध न होने के समर्थन में संबंधित उम्मीदवार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित परिवचन की स्कैन की गई प्रति। यह परिवचन परिशिष्ट-। के पैरा बी-1 में दिए गए प्रारूप में होना चाहिए।
- (V) अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार के रूप में रियायत प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवार द्वारा विस्तृत आवेदन प्रपत्र के अनुबंध में दिए अनुसार विधिवत् रूप से भरे गए और हस्ताक्षर किए गए प्रोफार्मा की स्कैन की गई प्रति।
- (VI) आयु में छूट के दावे, जहां कहीं लागू हो, के समर्थन में प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति।
- (VII) बेंचमार्क शारीरिक अक्षमता वाले उम्मीदवार के दावे के समर्थन में प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति (जहां कहीं लागू हो)।
- (VIII) भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण तथा केन्द्रीय भूजल बोर्ड में कार्यरत कर्मचारियों के तौर पर नियम 8(ग) के अंतर्गत आयु में छूट के दावे के दावे के समर्थन में प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति।
- (IX) संबंधित उम्मीदवार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित परिवचन की स्कैन की गई प्रति अगर पहले से सरकारी सेवा में हैं।

उपर्युक्त प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति, सभी दस्तावेजों की स्व-अनुप्रमाणित प्रतियों सहित, साक्षात्कार के समय या साक्षात्कार के अंतिम दिन, जिसकी जानकारी आयोग की वेबसाइट पर यथासमय उपलब्ध करा दी जाएगी, तक प्रस्तुत करनी होगी। ऐसा नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यह भी नोट कर लिया जाए कि दस्तावेजों की जांच की अंतिम तिथि को किसी भी

संबंधित उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यह भी नोट कर लिया जाए कि दस्तावेजों की जांच की अंतिम तिथि को किसी भी परिस्थिति में आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। उम्मीदवार कृपया यह नोट कर लें कि वे मूल दस्तावेजों की केवल स्कैन की गई प्रतियां ही अपलोड करें। किसी भी दस्तावेज को डाक के माध्यम से भेजने की आवश्यकता नहीं है।

- 2. उम्मीदवार द्वारा इस ऑनलाइन विस्तृत आवेदन-प्रपत्र में दी गई सूचना का मिलान इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन-प्रपत्र में पूर्व में दी गई सूचनाओं से की जाएगी। यदि कोई गंभीर विसंगतिया पाई जाती है तो उनकी उम्मीदवारी अस्वीकृत/रद्द कर दी जाएगी।
- 3. यदि कोई उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का होने का दावा करता है, तो उसे अपने दावे के समर्थन में उस जिले के, जिसमें उसके माता-पिता (या जीवित माता या पिता) आमतौर से रहते हों, जिला अधिकारी या उपमण्डल अधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी से परिशिष्ट-। में दिए गए फार्म में प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति प्रस्तुत करनी होगी। यह प्रमाण-पत्र जारी करने वाला अधिकारी ऐसा अधिकारी होना चाहिए जिसे संबद्ध राज्य सरकार द्वारा उक्त प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए पदनामित किया गया हो। यदि उम्मीदवार के माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो तो यह प्रमाण-पत्र उस जिले के अधिकारी से प्राप्त किया जाएगा, जहां उम्मीदवार अपनी शिक्षा से भिन्न अन्य प्रयोजन से आमतौर पर रहता है।
- 3.1 कोई उम्मीदवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के अंतर्गत आरक्षण का लाभ का दावा करता है तो उसे अपने दावे के समर्थन में आय तथा संपत्ति प्रमाणपत्र (पात्रता का प्रमाणपत्र) की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी चाहिए।
- नोट I: उम्मीदवार यह नोट करें कि उनके अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./बेंच मार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों/पूर्व सैनिक होने संबंधी प्रमाण पत्र सम्मिलित भू-वैज्ञानिक एवं भूविज्ञानी परीक्षा, 2019 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि (अर्थात 16.04.2019 से पहले) से पहले के होने चाहिए जैसा कि परीक्षा की नियमावली के नियम 23 में निर्दिष्ट किया गया है।
- नोट 2: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवार यह नोट करें कि उनका आय तथा संपत्ति प्रमाणपत्र परीक्षा के नियमावली के नियम 24 में यथानिर्दिष्ट 01 अगस्त, 2019 से पहले का होना चाहिए।
- नोट 3: अन्य पिछड़ी श्रेणियों का होने का दावा करने वाले उम्मीदवारों को यह नोट करना चाहिए कि उनके प्रमाण-पत्र में दी गई उनकी जाति का नाम (वर्तनी सहित) ठीक वही होना चाहिए जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित सूचियों में प्रकाशित किया गया है। जिस प्रमाण-पत्र में जाति के नाम में किसी प्रकार की भिन्नता होगी, उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- नोट 4: उम्मीदवार के अन्य पिछड़ी श्रेणी के होने के दावे का निर्धारण उस राज्य (या उस राज्य के किसी भाग) के आधार पर किया जाएगा, जिससे उसके पिता मूलत: सम्बद्ध हैं। अत:, वह उम्मीदवार जो एक राज्य (या राज्य के किसी भाग) से किसी अन्य राज्य में प्रव्रजन कर चुका है, उसे अन्य पिछड़ी श्रेणी का वह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए, जो उसे उसके पिता को उस राज्य जिससे वे (पिता) मूलत: संबद्ध हैं, से प्राप्त अन्य पिछड़ी श्रेणी के प्रमाण-पत्र के आधार पर जारी किया गया हो।

- नोट 5: आयोग, उम्मीदवार द्वारा सम्मिलित भू-वैज्ञानिक एवं भूविज्ञानी परीक्षा, 2019 के लिए आवेदन-प्रपत्र में दर्शाई गई जातीय स्थिति में किसी भी परिवर्तन की अनुमित नहीं देगा, सिवाय सम्मिलित भू-वैज्ञानिक एवं भूविज्ञानी परीक्षा नियम, 2019 के नियम 22 में उल्लिखित परिस्थितियों में।
- 4. उम्मीदवार वेबसाइट <u>www.upsc.gov.in</u> के माध्यम से संगत दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियों सहित विस्तृत आवेदन प्रपत्र को भरें और उसे ऑनलाइन सब्मिट करें।
- 5. उम्मीदवार को आयु के प्रमाण-पत्र (जिसमें जन्म की तारीख दर्शाई गई है) की स्कैन की गई प्रति अपने ऑनलाइन विस्तृत आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी। आयोग जन्म की वह तारीख स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन या माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण-पत्र या किसी मान्यताप्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाण-पत्र या किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित मैट्रिकुलेटों के रजिस्टर में दर्ज की गई हो और वह उद्धरण विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो। ऐसे उम्मीदवार जो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हों, वे उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति प्रस्तुत कर सकते हैं।

आयु के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज जैसे जन्म-कुण्डली, शपथ-पत्र, नगर निगम, सेवा अभिलेख आदि से प्राप्त जन्म संबंधी उद्धरण तथा इस प्रकार के अन्य प्रमाण स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

अनुदेशों के इस भाग में मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र'वाक्यांश के अंतर्गत उपर्युक्त वैकल्पिक प्रमाण-पत्र सम्मिलित हैं।

कभी-कभी मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र में जन्म की तारीख नहीं होती है या आयु के केवल पूरे वर्ष या पूरे वर्ष और महीने ही दिए जाते हैं। ऐसे मामलों में, उम्मीदवार को मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त उस संस्था के हैडमास्टर/प्रिंसिपल से लिए गए प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति भेजनी चाहिए जहां से उसने मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इस प्रमाण-पत्र में उस संस्था के दाखिला रजिस्टर में दर्ज की गई उसकी जन्म की तारीख या वास्तविक आयु लिखी होनी चाहिए।

उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि यदि आवेदन-प्रपत्र के साथ इन अनुदेशों में यथा-निर्धारित आयु का पूरा प्रमाण नहीं भेजा गया तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा।

6. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे दिनांक 20 मार्च, 2019 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित परीक्षा की नियमावली को ध्यानपूर्वक पढ़ लें, जिसमें पात्रता की शर्तें आदि सम्मिलित हैं। वे यह नोट कर लें कि आवेदन प्रपत्र में की गई प्रविष्टियों में परिवर्तन करने के संबंध में किसी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अत:, उम्मीदवारों को चाहिए कि वे सही रूप से आवेदन प्रपत्र भरने के लिए विशेष सावधानी बरतें।

किसी भी प्रविष्टि के अपाठ्य या भ्रामक होने की स्थिति में, इसके परिणाम के लिए उम्मीदवार स्वयं जिम्मेवार होंगे।

7. उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि वे आवेदन प्रपत्र के कॉलम 21(क) में उन पदों का विवरण दें जिसके लिए उन्होंने परीक्षा के लिखित भाग में अर्हता प्राप्त की है। यदि उन्होंने पदों की दोनों श्रेणियों के लिए अर्हता प्राप्त की है तो कॉलम 21(ख) में इन सेवाओं के लिए अपनी वरीयता क्रम को सूचित करें ताकि नियुक्ति के समय उनके योग्यता क्रम को ध्यान में रखते हुए उनकी वरीयता पर उपयुक्त रूप से विचार किया जा सके।

उम्मीदवार द्वारा अपने आवेदन में दी गई वरीयताओं में किसी भी प्रकार के परिवर्धन/परिवर्तन के लिए आयोग द्वारा कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

- 8. उम्मीदवार को आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध परीक्षा के दिनांक 20 मार्च, 2019 के नोटिस के पैरा 3(III) में निर्धारित शैक्षिक अर्हता दर्शाने वाले प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी चाहिए। यह प्रमाण-पत्र उस विशिष्ट योग्यता को प्रदान करने वाले प्राधिकरण (अर्थात् विश्वविद्यालय या अन्य परीक्षा निकाय) द्वारा जारी किया जाना चाहिए।
- नोट 1 :- जिस उम्मीदवार के पास पढ़ाई पूरी करने के बाद माध्यमिक विद्यालय प्रमाण-पत्र हो, उसे केवल आयु से संबद्ध प्रविष्टियों वाले पृष्ठ की स्कैन की गई प्रति ही अपलोड करनी होगी।
- नोट 2 :- उम्मीदवार यह ध्यान में रखें कि आयोग उम्मीदवार की जन्म की उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो आवेदन-प्रपत्र प्रस्तुत करने की तारीख को मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र में या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में दर्ज है और इसके बाद उसमें परिवर्तन के किसी अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा अथवा न ही उसे स्वीकार किया जाएगा।
- 9. (i) जम्मू एवं कश्मीर राज्य के अधिवासी के रूप में आयु में छूट के लाभ का दावा करने वाले उम्मीदवार को जम्मू व कश्मीर राज्य के उस जिला मजिस्ट्रेट से, जिसके क्षेत्राधिकार में वह सामान्यत: रहा हो या जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा उसके स्थान पर नामित किसी अन्य प्राधिकारी से इस आशय के प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति प्रस्तुत करनी होगी कि पहली जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1989 तक अवधि के दौरान वह सामान्यत: जम्मू एवं कश्मीर राज्य में रहा हो।
- (ii) आयु में छूट चाहने वाले ऐसे उम्मीदवार को जो रक्षा सेवा में कार्य करते हुए अक्षम हुआ है, महानिदेशक पुन: स्थापना, रक्षा मंत्रालय से नीचे दिए गए फार्म पर इस आशय का एक प्रमाण पत्र लेकर इसकी स्कैन की गई प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए कि यह रक्षा सेवा में कार्य करते हुए, विदेशी शत्रु देश के साथ संघर्ष में अथवा अशांत क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान अक्षम हुआ और उसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुआ था।

-111		
	उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रपत्र निम्नानुसार है :-	
	प्रमाणित किया जाता है कि संरैंकश्रीश्री	यूनिट
रक्षा सेवा	ओं में कार्य करते हुए, विदेशी शत्रु-देश के साथ संघर्ष में/अशांतिग्रस्त क्षेत्र* में फौजी कार्रवाई के दौरान अ	
परिणामस	वरूप निर्मुक्त हुए ।	
		हस्ताक्षर

पदनाम -----

	*जो शब्द	: लागू न हो उन्हें कृपया काट दें।		
(iii) कर्म	ोशन अधिव	कारियों और ईसीओ/एसएससीओ सहित भूतपूर्व सैनिक कर्मी, जो आयु में छू	ट का दावा क	र रहे हैं. को संबंधित प्राधिकारियों से
		रित प्रपत्र में, उनके मामले में लागू प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति अपलो		
		वृत्त कार्मिकों के लिए लागु प्रमाण-पत्र का प्रपत्र	3 1. (11 1116	(5)
ניי) ויוין		- "		
		किया जाता है कि सं ^{रें} क ^{रें} क ^{रें}		
		से तक थल सेना/नौसेना/वायु सेना में सेवा की है और वह निम्न		•
	(क)	उन्होंने पांच या उससे अधिक वर्ष की सैन्य सेवा की है और वे सुपुर्द का	ये की समाप्ति	पर निर्मुक्त हुए हैं, न कि उन्हें
		कदाचार अथवा अकुशलता के कारण बर्खास्त या निर्मुक्त किया गया है।	, 0 ,	3.
	(ख) 	वे सैनिक सेवा के कारण हुई शारीरिक अक्षमता के कारण	का ानमुक	त हुए ह ।
			स	क्षम प्राधिकारी का नाम और पदनाम
				मुहर
	(ख)	सेवारत कार्मिकों के लिए प्रमाण-पत्र का फार्म (उन सेवारत कार्मिकों पर	लागू होगा वि	जेन्हें एक वर्ष के भीतर निर्मुक्त किया
जाना है)	/			
		रा प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार सं		
		तांक से थल सेना/नौसेना/वायु सेना में सेवारत हैं और दिनांक	<u></u>	को सशस्त्र सेनाओं में अपने
		ोर्दिष्ट अवधि पूरी करने वाले हैं।		
ादनाक				कमान अधिकारी के हस्ताक्षर
				कार्यालय की मुहर
	उक्त "ख	" प्रमाण पत्र देने वाले उम्मीदवारों को निम्नलिखित वचनबंध प्रस्तुत करना	होगा :-	3
निर्मुक्त/से	वानिवृत्त/व	आशय का संतोषजनक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के अधीन हो र्घायमुक्त हो गया हूं और यह कि समय-समय पर यथासंशोधित भूतपूर विली, 1979 की शर्तों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को ग्राह्य लाभों का हकदा	र्व सैनिक (के	न्द्रीय सिविल सेवाओं तथा पदों में
				उम्मीदवार के हस्ताक्षर
(क)		त्र का यह फार्म उन सेवारत आपातकालीन कमीशन अधिकारियों/अल्पक	जलीन सेवा व	क्मीशन अधिकारियों पर लाग होगा
		की प्रारंभिक नियुक्ति अवधि पहले ही पूरी कर ली है और नियुक्ति की बढ़ाः		• • •
		णित किया जाता है कि सं रैंक रैंक		
जन्मतिथि	रे	है,में थल सेना/नौसेना/ वायु सेना में सेवारत हैं।		
2.	उन्होंने प	हिले ही प्रारंभिक कार्यकाल की पांच वर्ष की सेवाको पूरी कर रु	ती है और अब	· वे तक बढ़ाए गए
कार्यकाल	-			
3.	_	रोज़गार हेतु उनके द्वारा आवेदन-पत्र देने के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है त	था उनका चर	यन हो जाने पर उन्हें नियुक्ति प्रस्ताव
प्राप्त होन		से तीन माह के नोटिस पर कार्यमुक्त किया जाएगा।		` ` ` ` ` `
			स	क्षम प्राधिकारी का नाम और पदनाम
				कार्यालय की मोहर
ापनाक		 त्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित हैं:-		
(क) कर्म		अधिकारियों (आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा ब	कमीशन प्राप्तः	अधिकारियों सहित) के मामले में :-
()		मिलिटरी सचिव की शाखा, सेना मुख्यालय, नई दिल्ली।		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		कार्मिक निदेशालय, नौसेना मुख्यालय, नई दिल्ली।		
		कामिक अधिकारी निदेशालय, वायु सेना मुख्यालय, नई दिल्ली।		
/ = \ → -	-			
(অ) ज.स		भार. तथा नौसेना और वायु सेना के समकक्ष के मामले मे :- विभिन्न क्षेत्रीय रिकार्ड कार्यालय द्वारा।		
		।वामन्न क्षत्राय ।रकाड कायालय द्वारा। - बी.ए.बी.एस., मुम्बई।		
		11-3-11-3/11-1 & 141		

दिनांक -----

वायु सेना ---- वायु सेना रिकार्ड (एन.ई.आर.डब्ल्यू.), नई दिल्ली।

10. बेंचमार्क अक्षमता श्रेणी से संबद्ध होने का दावा करने वाले उम्मीदवार को सिम्मिलित भू-वैज्ञानिक तथा भूविज्ञानी परीक्षा, 2019 की नियमावली के नियम 21 में निर्धारित एक या एक से अधिक शारीरिक अपेक्षाओं/क्षमताओं को पूरा करना होगा। उन्हें प्रपत्र–V/ प्रपत्र -VI में दिये गए फार्मैंट में केन्द्र/राज्य सरकार के अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र की प्रति अपलोड करनी चाहिए।

टिप्पणी: आयु में छूट के पूर्वोक्त प्रावधान के बावजूद, बेंचमार्क श्रेणी के किसी उम्मीदवार को नियुक्ति हेतु अर्हक तभी माना जाएगा जब (सरकार अथवा नियुक्ति प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा निर्धारित शारीरिक परीक्षण के उपरांत) यह पाया जाता है कि वह सिम्मिलित भू-वैज्ञानिक एवं भूविज्ञानी परीक्षा के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा बेंचमार्क विकलांगता श्रेणी के उम्मीदवारों हेतु निर्धारित शारीरिक एवं चिकित्सा मानक संबंधी शर्तों को पूरा करता है।

11. भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण तथा केन्द्रीय भूजल बोर्ड में कार्यरत कर्मचारी, जो नियम 8(ग) के अंतर्गत आयु में छूट का दावा कर रहे हैं वे निम्नलिखित फार्म में कार्यालय/विभागाध्यक्ष से प्राप्त प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति अपलोड करें :-

उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का फार्म प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ______ दिनांक _____ से भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण/केन्द्रीय भू-जल बोर्ड में _____ के स्थायी/अस्थायी पद पर कार्यरत हैं। हस्ताक्षर _____ पदनाम _____ मंत्रायल/कार्यालय _____ कार्यालय की मोहर _____

* जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें।

12. उम्मीदवार यह ध्यान रखें कि सम्मिलित भू-वैज्ञानिक एवं भूविज्ञानी परीक्षा, 2019 में उनकी उम्मीदवारी पूर्णत: अनंतिम है तथा उनकी निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा करने पर आधारित है। यदि परीक्षा के पहले या बाद में किसी स्तर पर जांच करने पर यह पाया जाता है कि वे पात्रता की किन्हीं शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा रद्द कर दी जाएगी।

टिप्पणी : लिखित परीक्षा के आधार पर साक्षात्कार के लिए लघु-सूचीबद्ध किए गए उम्मीदवारों को आयोग द्वारा मांगे जाने पर अपने ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में किए गए दावों के समर्थन में दस्तावेजों/संगत प्रमाण-पत्रों की स्व अनुप्रमाणित प्रतियां अपलोड करना अपेक्षित होंगा ।

साक्षात्कार के समय उपर्युक्त प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियों को, उनकी स्व-सत्यापित प्रतियों के एक सेट सहित प्रस्तुत करना होगा।

- 13 जिन मामलों में ऑनलाइन आवेदन पत्र सभी अनुलग्नकों रहित या उपरोक्त में से कुछ अनुलग्नकों सहित प्राप्त होंगे, उनमें उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। उम्मीदवार यदि गायब अनुलग्नकों को बाद में भेजते हैं तो उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 14. इस आवेदन के संबंध में आयोग से किए गए अपने समस्त पत्र-व्यवहार में उम्मीदवार परीक्षा का नाम, अपना पूरा नाम, अनुक्रमांक, पंजीकृत आई.डी. (11 अंकीय) तथा जन्म की तारीख अवश्य लिखें।
- 15. जो व्यक्ति पहले से ही सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी रूप में काम कर रहे हों या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हों, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त व्यक्ति शामिल नहीं हैं, या जो सार्वजनिक उद्यमों में कार्यरत हैं, उनको इस वचनबंध (अण्डरटेकिंग) (जैसा कि विस्तृत आवेदन-पत्र की घोषणा में है) की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी होगी कि उन्होंने लिखित रूप में अपने कार्यालय/ विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है। उम्मीदवारों को यह नोट करना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने/परीक्षा में बैठने से संबद्ध अनुमित रोकते हुए कोई पत्र मिलता है, तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है/ उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है (कृपया सम्मिलित भू-वैज्ञानिक एवं भूविज्ञानी परीक्षा,

2019 की नियमावली का नियम 11 देखें)।

उम्मीदवार द्वारा अपलोड किया जाने वाले वचनबंध का फॉर्म

वचनबंध (सरकारी कर्मचारियों के लिए)
मैंने अपने कार्यालय प्रमुख/ विभाग को दिनांक को लिखित रूप में यह सूचित कर दिया है कि मैंने सम्मिलित भू-वैज्ञानिक एवं
भूविज्ञानी परीक्षा, 2019 के लिए आवेदन किया है।
(हस्ताक्षर)
नाम :
अनुक्रमांक:
नोट : ऐसे सभी कर्मचारी जो सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी रूप में काम कर रहे हों या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त
कर्मचारी हों, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त व्यक्ति शामिल नहीं हैं, या जो सार्वजनिक उद्यमों में कार्यरत हैं, उनको वचनबंध
(अण्डरटेकिंग) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप में अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस परीक्षा के
लिए आवेदन किया है। उम्मीदवारों को यह नोट करना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन
करने/परीक्षा में बैठने से संबद्ध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है, तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है/उनकी उम्मीदवारी
रद्द की जा सकती है।

परिशिष्ट-।

(ख) भारत सरकार के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का फार्म :-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*	सुपुत्र/र	नुपुत्री* श्री जो गांव/
कस्बा [*] जिला/मंडल [*]	= =	= =
जाति/जनजाति [*] से संबद्ध हैं जिसे निम्नलिखित के अधीग	। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनज	गति* के रूप में मान्यता दी गई है :-
संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 @		
संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 @		
संविधान (अनुसूचित जातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951 @		
<u>संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951 @</u>	<u>)</u>	
[अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां सूची (संशोधन) आर्	श, 1956; बम्बई पुनर्गठन अधि	नेयम, 1960; पंजाब पुनर्गठन अधिनियम,
1966; हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970; उत्तर पूर्वी क्षे	त्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971	और अनुसूचित जातियां और अनुसूचित
जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976; मिजोरम राज्य	अधिनियम, 1986; अरूणाचल प्र	देश राज्य अधिनियम, 1986 तथा गोवा,
दमन और दीव (पुनर्गठन) अधिनियम, 1987 द्वारा यथासंशोधित]		
संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956 @		
संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजातिय	<u>ां आदेश, 1959, अनुसूचित जाति</u>	<u>यां तथा अनुसूचित जनजातियां (संशोधन)</u>
अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित@		
संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962	2@	
संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1	<u>962 @</u>	
संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964 @		
संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1967 @		
संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जातियां आदेश, 1968	<u>@</u>	
संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 196	88 <u>@</u>	
संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1970 @		
संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जातियां आदेश, 1978 @		
संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1978 @		
संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1989	<u>@</u>	
संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990	<u>@</u>	
संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 19	<u>91 @</u>	
संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनिय	<u>म, 1991 @</u>	
अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) आ	<u>धेनियम, 2002 @</u>	
संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002	<u>@</u>	
संविधान (अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां) आदेश (स	शोधन) अधिनियम, 2002 @	
संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम,	<u>2002 @</u>	
%2 अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां के ऐसे व्यक्तियों के	मामले में लागू जो एक राज्य/संघ	राज्य क्षेत्र से अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में
प्रवर्जन कर चुके हैं।		
यह प्रमाण-पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी*		
जिला/मंडल* राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*		
से संबद्ध है जिसेराज्य/संघ राज्य ह		
श्री/श्रीमतीको जारी प्रमाण-पत्र	· ·	
%3 श्री/श्रीमती/कुमारी*और/या* उनका परिवार अ		
जिला/मंडल* राज्य/संघ राज्य	`क्षत्र^ ^१	
		हस्ताक्षर **पदनाम
		(कार्यालय की मोहर)
		राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*
स्थान		
तारीख		
* जो शब्द लागू न हों उन्हें कृपया काट दें।		
@ कृपया राष्ट्रपति का विशिष्ट आदेश उद्धृत करें।		
% जो पैराग्राफ लागू न हों उसे कृपया काट दें।		

नोट : यहां "आमतौर से रहते/रहती हैं" शब्दावली का अर्थ वही होगा जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

- ** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारियों की सूची :
- (i) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/डिप्टी कमिश्नर/एडीशनल डिप्टी कमिश्नर/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी का स्टाइपेन्डरी मजिस्ट्रेट/† सब डिविजनल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट/एक्स्ट्रा असिस्टेन्ट कमिश्नर।

† (प्रथम श्रेणी के स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट के रैंक से नीचे का न हो)।

- (ii) चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट/एडीशनल चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट।
- (iii) रेवेन्यू अफसर जिसका ओहदा तहसीलदार से कम न हो।
- (iv) उस इलाके का सब-डिविजनल आफिसर जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार आमतौर से रहता हो।

(ग) भारत सरकार के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का फार्म।

प्रमाणित किया जाता है श्री/श्रीमती/कुमारी*		सपत्र/सपत्री* श्री/श्रीमती	
· · ·		00 00	
जो जिला/मंडल*	के गांव/कस्बा*	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*	
के/की निवासी हैं औरके/की निवासी हैं	समुदाय से संबद्ध हैं जिसे	िनिम्नांकित के अधीन अन्य पिछड़ी श्रे	।णी होने की
मान्यताप्राप्त है :-			

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, संख्या 186 में दिनांक 13 सितम्बर, 1993 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 10 सितम्बर, 1993 का संकल्प सं.12011/68/93-बी.सी.(सी.)।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, संख्या 163 में दिनांक 20.10.1994 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 19.10.1994 का संकल्प सं.12011/9/94-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, संख्या 88 में दिनांक 25.05.1995 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 24.05.1995 का संकल्प सं.12011/7/95-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, संख्या 60 में दिनांक 11 मार्च, 1996 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 9 मार्च, 1996 का संकल्प सं.12011/96/94-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, संख्या 210 में दिनांक 11 दिसम्बर, 1996 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 6 दिसम्बर, 1996 का संकल्प सं.12011/44/96-बी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, संख्या 239 में दिनांक 17 दिसम्बर, 1997 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 3 दिसम्बर, 1997 का संकलुप सं.12011/13/97-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, संख्या 236 में दिनांक 12 दिसम्बर, 1997 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 11 दिसम्बर, 1997 का संकल्प सं.12011/99/94-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, संख्या 241 में दिनांक 27 अक्तूबर, 1999 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 27 अक्तूबर, 1999 का संकल्प सं.12011/68/98-बी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, संख्या 270 में 6 दिसम्बर, 1999 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 6 दिसम्बर, 1999 का संकल्प सं.12011/88/98-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, संख्या 71 में दिनांक 4 अप्रैल 2000 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 4 अप्रैल, 2000 का संकल्प सं.12011/36/99-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, संख्या 210 में दिनांक 21 सितम्बर, 2000 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 21 सितम्बर, 2000 का संकल्प सं.12011/44/99-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, संख्या 246 में दिनांक 6 सितम्बर, 2001 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 6 सितम्बर, 2001 का संकल्प सं.12015/9/2000-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, संख्या 151 में दिनांक 20 जून, 2003 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 19 जून, 2003 का संकल्प सं.12011/1/2001-बी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, संख्या 9 में दिनांक 13 जनवरी, 2004 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 13 जनवरी, 2004 का संकल्प सं.12011/4/2002-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, संख्या 10 में दिनांक 16 जनवरी, 2006 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 16 जनवरी, 2006 का संकल्प सं.12011/9/2004-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, संख्या 67 में दिनांक 12 मार्च, 2007 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 12 मार्च, 2007 का संकल्प सं.12011/14/2004-बी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, संख्या 232 में दिनांक 18 अगस्त, 2010 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 18 अगस्त, 2010 का संकल्प सं.12015/2/2007-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, संख्या 274 में दिनांक 12 अक्तूबर, 2010 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक
- न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 11 अक्तूबर, 2010 का संकल्प सं.12015/2/2007-बी.सी.सी.।
ू @भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, संख्या 123 में दिनांक 16 जून, 2011 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय
और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 16 जून, 2011 का संकल्प सं.12015/15/2008-बी.सी.सी.।
@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, संख्या 257 में दिनांक 8 दिसंबर, 2011 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक
न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 8 दिसंबर, 2011 का संकल्प सं.12015/13/2010-बी.सीII ।
@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, संख्या 41 में दिनांक 17 फरवरी, 2014 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक
न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 17 फरवरी, 2014 का संकल्प सं.12015/05/2014-बी.सीII.।
@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 16 में दिनांक 14 जनवरी, 2015 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक
न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 14 जनवरी, 2015 का संकल्प सं.12011/04/2014-बी.सीII।
@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 26 में दिनांक 23 जनवरी, 2015 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक
न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 23 जनवरी, 2015 का संकल्प सं.12011/07/2014-बी.सीII।
@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 144 में दिनांक 27 मई, 2015 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक
- न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 27 मई, 2015 का संकल्प सं.12011/01/2015-बी.सीII ।
न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 14 जुलाई, 2015 का संकल्प सं.12015/05/2011-बी.सीII ।
@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 234 में दिनांक 09 सितंबर, 2015 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक
न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 09 सितंबर, 2015 का संकल्प सं.12011/06/2014-बी.सीII।
@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 160 में दिनांक 26 मई, 2016 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय
और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 25 मई, 2016 का संकल्प सं.12011/13/2016-बी.सीII ।
@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 188 में दिनांक 15 जून, 2016 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक
न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 13 जून, 2016 का संकल्प सं.12011/14/2016-बी.सीII ।
@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 206 में दिनांक 30 जून, 2016 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक
न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 30 जून, 2016 का संकल्प सं.12011/15/2016-बी.सीII
@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 266 में दिनांक 11 अगस्त, 2016 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक
न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिनांक 11 अगस्त, 2016 का संकल्प सं.12011/04/2014-बी.सीII ।
@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 363 में दिनांक 07 दिसंबर, 2016 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक
न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिनांक 06 दिसंबर, 2016 का संकल्प सं.12011/06/2014-बी.सीII ।
@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 374 में दिनांक 22 दिसंबर, 2016 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक
न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिनांक 22 दिसंबर, 2016 का संकल्प सं.12011/13/2016-बी.सीII ।
@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 18 में दिनांक 19 जनवरी, 2017 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक
न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिनांक 18 जनवरी, 2017 का संकल्प सं.20012/01/2017-बी.सीII ।
श्री/श्रीमती/कुमारी [*] और/या [*] उनका परिवार सामान्यतया जिला/मंडल [*] के
गांव/कस्बा [*] करते हैं।
यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह [*] कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के दिनांक 8.9.1993 के का.ज्ञा.सं.
36012/22/93-स्था.(एस.सी.टी.), दिनांक 9 मार्च, 2004 के का.ज्ञा.सं. 36033/3/2004-स्था.(आरक्षण) और दिनांक 14 अक्तूबर, 2008 के
का.ज्ञा.सं. 36033/3/2004-स्था.(आरक्षण) तथा दिनांक 27 मई, 2013 के का.ज्ञा.सं. 36033/1/2013-स्था.(आरक्षण) की अनुसूची के कालम 3
में दिए गए व्यक्तियों/वर्गों* (सम्पन्न वर्ग अर्थात् क्रीमी लेयर से) संबंधित नहीं है।
हस्ताक्षर

स्थान-----तारीख -----

(ख-1) भारत सरकार के अंतर्गत पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों द्वारा विस्तृत आवेदन प्रपत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले वचनवंध का प्रारूप।

**पदनाम -----

राज्य संघ शासित क्षेत्र------

(कार्यालय की मोहर)

^{*} जो शब्द लागू न हों उन्हें कृपया काट दें।

[@] जो लागू न हों उसे हटा दें।

	वचनबंध			
	मैं	सुपुत्र/सुपुत्री	श्री	निवासी
ग्राम/कस्ब	गा/शहर	जिला	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*	एतद्वारा
			। संबद्ध हूं जो कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग	
			्र आदेशों के अनुसार सेवाओं में आरक्षण के प्रयोज	
पिछड़ा व	ार्ग के तौर पर मान्यता प्राप्त है।	मैं यह भी घोषित करता/करती	् : हूं कि मैं समय-समय पर संशोधित किए गए	दिनांक 08.09.1993 के
			ू ज्ञा.सं.36033/3/2004-स्था. (आरक्षण) तथा	
			ए गए व्यक्तियों/वर्गों* (क्रीमी लेयर) से संबंधि	
1/1.4(1.\()	.00000/1/2010 (41.(31/4)) 10 994 11 10 10 10 10		ताक्षर
				ग नाम
			अनुक्रमांक	-
नोट : यह	हां "आमतौर से रहते/रहती हैं" क	ा अर्थ वही होगा जो जन प्रतिनि	ि धित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।	
`			ाए सक्षम प्राधिकारी वही रहेंगे जो अ.जा./अ.ज	ज.जा. के प्रमाण-पत्र जारी
करने के रु	नए सक्षम हैं।			
टिप्पणी जाति का	1 : अन्य पिछड़ी श्रेणियों का हो नाम (वर्तनी सहित) ठीक वही :	होना चाहिए जैसा केन्द्रीय सरका	गरों को यह नोट करना चाहिए कि उनके प्रग र द्वारा समय-समय पर अधिसूचित सूचियों ग्रं	
		प्रकार की भिन्नता होगी, उसे अ	•	
जिससे उ	सके पिता मूलत: सम्बद्ध हैं। अत	: वह उम्मीदवार जो एक राज्य (ग उस राज्य (या उस राज्य के किसी भाग) के (या राज्य के किसी भाग) में प्रव्रजन कर चुका	है उसे अन्य पिछड़ी श्रेणी
-	•	गो उसे उसके पिता को उसे राज ्य	जिसमें (पिता) मूलत: सम्बद्ध है, से प्राप्त अन	य पिछड़ी श्रेणी के प्रमाण-
	धार पर जारी किया गया हो।	0 10 10	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		•	त आवेदन-प्रपत्र में दर्शायी गई सामुदायिक जि	
	• •	ाा, सिवाय सम्मिलित भू-वैज्ञानि	नेक एवं भूविज्ञानी परीक्षा नियम, 2019 के	नियम 22 में उल्लिखित
परिस्थिति	तया म।			
		<u>प्रपत्र -</u>		
	अशक्त	ंव्यक्तियो द्वारा अशक्तता प्रमा	ण-पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र	
1.				
0	(उप नाम) (प्रथम नाम			
2.		माता का नाम		
3.	जन्म तिथि/_			
4	(दिनांक) (माह)	` '		
4.	आवेदन के समय आयु :			
5.	लिंग : पुरुष/महिला/ट्रांसजेंड	₹		
6.	पता:			
	(क) स्थायी पता:			
	(ख) वर्तमान पता (अर्थात	········ : पत्र-व्यवहार के लिए)		
		*		
	(ग) वर्तमान पते पर निव	ास करने की अवधि		
5.	शैक्षणिक योग्यता (जो लागू	हो कृपया उसे चिन्हित करें)		
	(i) स्ना	तकोत्तर		
	(ii) स्ना	तक		
		लोमा		

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

हायर सेकेंडरी

हाई स्कूल

मिडिल

	(vii)	प्राइमरी	
	(viii)	अशिक्षित	
8.	व्यवसाय व्यवसाय		
9.	पहचान	चिन्ह (i)	
10.	अशक्तत	की प्रकृति :	
11.	-	जब से अशक्त हैं : जन्म से/वर्ष से	
12.	(i) क्या ३	पने कभी पूर्व में अशक्तता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन किया है हां/नही	
	(ii) यदि इ	, तो विवरण दें :	
	(क	किस प्राधिकारी और जिले में आवेदन किया है	
	•	आवेदन का परिणाम	
13.		ो पूर्व में कभी अशक्तता प्रमाण पत्र जारी किया गया है? यदि हां, तो कृपया सही प्रतिलिपि संलग्न करें।	
घोषणा :		ा यह घोषणा करता/करती हूं कि उपर्युक्त सभी विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और व ानकारी छिपाई नहीं गई है अथवा गलत नहीं व्यक्त की गई है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि यदि	
		में कोई गलती पाई जाती है तो मुझे प्राप्त लाभ, यदि कोई हो, जब्त किया जा सकता है और विधि के अनुसार	मे
	विरुद्ध अन	कार्रवाई की जा सकती है।	
		(अशक्त व्यक्ति के हस्ताक्षर अथ	
		बाएं हाथ के अंगूठे का निशान अथ मानसिक अशक्तता(मेंटल रिटार्डेशन), ऑटिज	
		प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात और एकाधि प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात और एकाधि	
		प्रमास्ताञ्जाय पद्मापात जार एकात अशक्तता वाले व्यक्तियों के मामले	
		उनके विधिक संरक्षक के हस्ताक्षर अथ	
		बाएं हाथ के अंगूठे का निशा	ान
दिनांक :			
स्थान :			
गंजग्जर			
<u>संलग्नक</u>			
1.		प्रमाण (जो लागू हो कृपया उसे चिन्हित करें)	
	(ক)	राशन कार्ड,	
	(ख)	मतदाता पहचान पत्र,	
	(ग)	ड्राइविंग लाइसेंस,	
	(ঘ)	बैंक पासबुक,	
	(ड.)	पैन कार्ड,	
	(च)	पासपोर्ट,	
	(छ)	टेलीफोन, विद्युत, जल और अन्य उपभोज्य बिल जिसमें आवेदक का पता लिखा हो,	
	(ज)	ं पंचायत, नगर निगम, कैंटोनमेंट बोर्ड, किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा संबंधित पटवारी अथवा किसी सरक	गर्र
	()	स्कूल के हैडमास्टर द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र,	
	(騂)	रदूर ए. १७०० । अशक्त, निराश्रित, मानसिक रोग, आदि से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए निवास संस्थान के मामले में ऐसे संस्थान के प्रग्	П <i>7</i> г
	(21)	अक्षत्रप्त, गरात्रियप्त, नागासक राग, आदि स ब्रह्मा ज्याराज्या कालालु गयास सरवाग के नामल में दूस सरवाग के ब्रह् से निवास प्रमाण पत्र।	J.
2.	पासपोर्ट	कार के दो नवीनतम फोटोग्राफ	
		(केवल कार्यालय उपयोग के लिए)	
दिनांक :		जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर	
स्थान :		मोहर	

<u>प्रपत्र - V</u>

अशक्तता प्रमाण पत्र (अंगच्छेदन या अंगों के पूर्ण रूप से स्थायी पक्षाघात के मामले में और दृष्टिहीन व्यक्तियों के मामले में) (प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

अशक्त व्यक्ति का पासपोर्ट आकार का सत्यापित वर्तमान फोटो (केवल चेहरा दर्शाया हो)

प्रमाण पत्र सं.		f	देनांक :			
प्रमाणित किया	जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/	कुमारी		पुः	त्र/पत्नी/पुत्री श्री	
	नन्म तिथि					
सं	स्थायी निवासी मक	जन नं	वार्ड/ग्राम/स	ट्रीट	डाकघर	
जिला र	ाज्य और जिन	का फोटोग्राफ ऊ	पर लगाया गया	है, की ध्यानपूर्वव	_फ जांच कर ली है और मैं	ां संतुष्ट
हूं कि :						
(क) वह निम्न रोग						
• चलने में ३						
• बौनापन(ड्वार्फिज्म)					
• दृष्टिहीन						
	हो कृपया उसे चिन्हित करें) ंनिदान	3 ,				
, ,	ानदान ज्ञुसार (दिशा-निर्देशों	~	टर्ने जारी किए	जाने की नारीक	का विशेष का से उल्लेख	र किस
• •	, अनुसार (ादशा-ानदशा % (अंकों में)					
., .	, ,	•	म) उनक	(शरार क अ	ग) क सबंध म स्थाया त	गर प
	मता/बौनापन(ड्वार्फिज्म)/दृष्टि			4 .		
	ते निवास के प्रमाण स्वरूप निम् जारी करने की तारीख				मारी का विवरण	
परतायण यम प्रयूगत	गारा गरन गा ताराज	^	माग गर्न जारा	गरम पास प्राप्त	गरा यम । पपर प	
	L					
			(अधिसूचित चि	कित्सा प्राधिकारी	के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर	
उस व्यक्ति के					हस्ताक्षर और मे	ोहर)
हस्ताक्षर/अंगूठे का						
निशान जिसके नाम	ਸ਼ੇ					
अशक्तता प्रमाण पत्र						
जारी किया गया है।						
3						
		प्रपत्र –\	/ I			
		अशक्तता प्रमा				
	(एका	धिक अशक्तता				
	(प्रमाण पत्र जारी करने	ो वाले चिकित्सा	प्राधिकारी का	नाम और पता)		
					अशक्त व्यक्ति क	
					पासपोर्ट आकार	
					सत्यापित वर्तमा	
					फोटो (केवल चेह	हरा
					दर्शाया हो)	
प्रमाण पत्र सं.		दिनांक				
	ा जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती					
	जन्म तिथि	(दिनां	ंक/माह/वर्ष) आयु	ु वर्ष, पुः	रूष/महिला पंज	गीकरण
सं	स्थायी निवासी मकान नं.		वार्ड/ग्राम/ स्ट्रीट	: ड	ज्ञकघर	_ जिल
राज्य	और जिनका	फोटोग्राफ ऊपर	लगाया गया है,	की ध्यानपूर्वक ज	गांच कर ली है और मैं स <u>ं</u>	ांतुष्ट ह
 कि			·	~		· ·

(क) वह एकाधिक अशक्तता से ग्रस्त हैं। उनके स्थायी शारीरिक दौर्बल्य/अशक्तता की सीमा को दिशा-निर्देशों के अनुसार (......दिशा-निर्देशों की संख्या और इन्हें जारी किए जाने की तारीख का विशेष रूप से उल्लेख किया जाए) आकलित किया गया है और नीचे तालिका में संगत अशक्तता के सामने दर्शाया गया है:

क्रम सं.	अशक्तता	शरीर का प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक दौर्बल्य/
				मानसिक अक्षमता (% में)
1.	चलने में असमर्थ	@		
2.	मस्कुलर डिस्ट्रॉफी			
3.	कुष्ठ उपचारित (लेपरसी			
	क्योर्ड)			
4.	बौनापन (ड्वार्फिज्म)			
5.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात			
	(सेरिब्रल पॉल्सी)			
6.	तेजाबी हमला पीडि़त			
7.	कम दृष्टि	#		
8.	दृष्टिहीन	दोनों आंखों से		
9.	बधिर	£		
10.	श्रवण बाधित	£		
11.	वाक एवं भाषा संबंधी			
	अशक्तता(स्पीच एंड			
	लैंग्वेज डिजेबिलिटी)			
12.	बौद्धिक अशक्तता			
	(इंटेलेक्चुअल			
	डिजेबिलिटी)			
13.	अध्ययन संबंधी विशिष्ट			
	अशक्तता (स्पेसिफिक			
	लर्निंग डिजेबिलिटी)			
14.	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर			
15.	मानसिक व्याधि			
16.	पुराने तंत्रिका रोग (क्रॉनिक			
	न्यूरॉलॉजिकल कंडीशन्स)			
17.	मल्टीपल स्क्लेरॉसिस			
18.	पार्किंसन्स रोग			
19.	हीमोफीलिया			
20.	थैलेसीमिया			
21.	सिकल सेल रोग			

21.	सिकल सेल रोग				
(ख) उपर	ोक्त के मद्देनजर, निर्धारित दिश	ा-निर्देशों के अनुसार (दिशा-निर्देश	शों की संख्या और इन्हें जार	-
तारीख का	विशेष रूप से उल्लेख किया जा	ए), उनका समग्र शारीरिक दौर्ब	ल्य निम्नानुसार है:-		
आंकड़ों में	: प्रति	शत			
शब्दों में :		प्रतिशत			
2.	इस स्थिति के आगे और बढ़ने/न	बढ़ने/स्थिति में सुधार होने/सुधा	र न होने की संभाव	ना है।	
3.	अशक्तता का पुन: आकलन :				
	(i) आवश्यक नहीं है,				
	अथवा		_		
	(ii) की अनुशंसा की जाती है/	वर्षोंमाह के उपरांत औ			
	तक के लिए वैध रहेगा ।	~		(दिनांक) (माह) (वर्ष)	
@	उदाहरण बायां/दायां/दो	ना हाथ/पर			

- # उदाहरण एक आंख/दोनों आंख
- £ उदाहरण बायां/दायां/दोनों कान
- 4. आवेदक ने अपने निवास के प्रमाण स्वरूप निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया है:-

दस्तावेज की प्रकृति	जारी करने की तारीख	प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

5. चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मोहर

सदस्य का नाम और मोहर	सदस्य का नाम और मोहर	अध्यक्ष का नाम और मोहर

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिसके नाम से प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

प्रपत्र –VII

अशक्तता प्रमाण पत्र

(उन मामले में, जिनका उल्लेख प्रपत्र V और VI में नहीं किया गया है) (प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

> अशक्त व्यक्ति का पासपोर्ट आकार का सत्यापित वर्तमान फोटो (केवल चेहरा दर्शाया हो)

प्रमाण पत्र	ा स.		दिनाक :		
Ţ	प्रमाणित किया जाता है कि मैं	ोंने श्री/श्रीमती/कुमारी		पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री	
	जन्म तिथि		(दिनांक/माह/वर्ष) आयु	वर्ष, पुरुष/महिला	पंजीकरण
सं	स्थायी निवा	सी मकान नं	वार्ड/ग्राम/ स्ट्रीट	डाकघर	जिला
	राज्य	और जिनका फोटोग्राप	क ऊपर लगाया गया है, की	ध्यानपूर्वक जांच कर ली है और	मैं संतुष्ट हूं
कि वह	अशक्तता से	ग्रस्त हैं। उनके स्थाय <u>ी</u> श	शारीरिक दौर्बल्य/अशक्तता	की सीमा की प्रतिशततता को वि	रे शा-निर्देशों
				वेशेष रूप से उल्लेख किया जाए	ए) आकलित
किया गया	<u>है और नीचे तालिका में संगत अ</u>	।शक्तता के सामने दर्शा			
				26 00 0	

क्रम सं.	अशक्तता	शरीर का प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक दौर्बल्य/
				मानसिक अक्षमता (% में)
1.	चलने में असमर्थ	@		
2.	मस्कुलर डिस्ट्रॉफी			
3.	कुष्ठ उपचारित (लेपरसी			
	क्योर्ड)			
4.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात			
	(सेरिब्रल पॉल्सी)			
5.	तेजाबी हमला पीडि़त			
6.	कम दृष्टि	#		
7.	बधिर	€		

8.	श्रवण बाधित	€	
9.	वाक एवं भाषा संबंधी		
	अशक्तता(स्पीच एंड		
	लैंग्वेज डिजेबिलिटी)		
10.	बौद्धिक अशक्तता		
	(इंटेलेक्चुअल		
	डिजेबिलिटी)		
11.	अध्ययन संबंधी विशिष्ट		
	अशक्तता (स्पेसिफिक		
	लर्निंग डिजेबिलिटी)		
12.	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर		
13.	मानसिक व्याधि		
14.	पुराने तंत्रिका रोग		
	(क्रॉनिक न्यूरॉलॉजिकल		
	कंडीशन्स)		
15.	मल्टीपल स्क्लेरॉसिस		
16.	पार्किंसन्स रोग		
17.	हीमोफीलिया		
18.	थैलेसीमिया		
19.	सिकल सेल रोग		

(जो अशक्तता लागू न हो कृपया उसे काट दें।)

2	इस स्थिति के	आगे और बत	हने/न बहने/स्थि	ाति में सधार	होने/सधार न	। होने की संभावन	т हੈ।
۷.	इसास्यात क	ञाग ञार वृ	ऽग/ग बढ़ग/।स्थ	।ात म स्वार	हाग/सुवार ग	। हान का समावन	

2	2000		3HH TT .
ქ.	अशक्तता	ળતા પત્તા	आकलन :

(i) आवश्यक नहीं है,

अथवा

(ii) की अनुशंसा की जाती है/..... वर्षोंमाह के उपरांत और इसलिए यह प्रमाण पत्र

तक के लिए वैध रहेगा ।

(दिनांक) (माह) (वर्ष)

- @ उदाहरण बायां/दायां/दोनों हाथ/पैर
- # उदाहरण एक आंख/दोनों आंख
- € उदाहरण बायां/दायां/दोनों कान

4. आवेदक ने अपने निवास के प्रमाण स्वरूप निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया है:-

दस्तावेज की प्रकृति	जारी करने की तारीख	प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का
		विवरण

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) (नाम और मोहर)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिसके नाम से प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

प्रतिहस्ताक्षर {यदि यह प्रमाण पत्र ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो सरकारी कर्मचारी नहीं है तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक/ सरकारी अस्पताल के प्रमुख के प्रतिहस्ताक्षर (मोहर सहित)}

टिप्पणी : यदि यह प्रमाण पत्र ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो एक सरकारी कर्मचारी नहीं है तो यह उस जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाने पर ही मान्य होगा।

प्रपत्र –VIII

[अशक्तता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन की अस्वीकृति की सूचना]

सं		दिनांक :		
सेवा में,				
(अशक्तता प्रमाण	पत्र के आवेदक का नाम और पता)			
् विषय: <u>अशक्तता प्रमाण पत्र</u>	,			
महोदय/महोदया,	<u></u>			
	के अपने आवेदन का संदर्भ	र्ग लें जो निम्नलिखितः	अशक्तता देत अशक्तता प्रमाण ए	पत्र जारी किए
जाने हेतु प्रस्तुत किया गया:	कारा आवदा का सदर	i (i aii iai aii (i aii (i	ગરાવતતા હતું ગરાવતતા પ્રવાસ	ाम आरा मिट्
जान हुतु त्ररपुरा नित्रना ननाः				
	 ो में दिनांक को अ	धोहस्ताक्षरी/चिकित्सा	। प्राधिकारी द्वारा आपका चिकि	त्सा परीक्षण किया
गया और मुझे यह सूचित कर	ते हुए खेद है कि निम्नलिखित कारण	गों से आपको अशक्तत	।। प्रमाण पत्र जारी करना संभव	नहीं हो पाया है:
(i)				
(ii)				
(iii)				
	ो अस्वीकार किए जाने से असंतुष्ट	हैं, तो इस निर्णय की र	समीक्षा हेतु अपना अभ्यावेदन _	को
प्रस्तुत कर सकते हैं।				भवदीय,
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		(अधिसूचि	वेत चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधि	ाकृत हस्ताक्षरकर्ता) (नाम और मोहर)
आर्थिक	ब्ल्यूएस उम्मीदवारों द्वारा प्रस् (प्रमाणपत्र जारी करने व रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों व त्र सं	सरकार ग़ाले प्राधिकारी का नाम	ा एवं पता)	
प्रमाणव	1 (1		दिनांक	
		वर्ष के लिए मान्य		
प्रमाणित किया जात	ता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी		- ਧਕ/ਧਕੀ/ਧੁਰੀ श्री	
			• •	
	जो आर्थिक रूप से कमजोर [ः]			
	ार की कुल वार्षिक आय रूपये 08 ला		- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
गई में से कोई भी संप्रत्ति अपनी	=	`	,	
l. 5 एकड़ और इससे	अधिक की कृषि भूमि			
II. 1000 वर्ग फीट और	र इससे अधिक की आवासीय प्लॉट			
III. अधिसूचित निगमों	में 100 वर्ग गज या इससे अधिक का	आवासीय प्लॉट		
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	के क्षेत्र को छोड़कर 200 वर्ग गज औ			
	0.2.2		जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित	जनजाति एवं अन्य
पिछड़ा वर्ग (केन्द्रीय	सूची) के तौर पर मान्यता प्राप्त नहीं	[:] ह।		
आवेदक का हाल का पासपोर्ट आकार का			नाम	ोहर सहित हस्ताक्षर
अनुप्रमाणित			पदनाम	

- * नोट 1: आय के सभी स्रोतों अर्थात् वेतन, कृषि, व्यापार, व्यवसाय आदि शामिल है।
- ** नोट 2: इस उद्देश्य के लिए 'परिवार' में वह व्यक्ति शामिल है, जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन के साथ-साथ उसके पति / पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे शामिल है ।
- *** नोट 3: विभिन्न स्थानों या विभिन्न जगहों / शहरों में एक "परिवार" के पास संपत्ति को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (इडब्ल्यूएस) का दर्जा निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति होल्डिंग टेस्ट को लागू करते समय क्लब मिला दिया गया है।

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION COMBINED GEO-SCIENTIST AND GEOLOGIST EXAMINATION, 2019 INSTRUCTIONS TO CANDIDATES FOR FILLING IN THE DETAILED APPLICATION FORM

The candidates should read these instructions carefully before filling in the online Detailed Application Form. The candidate should also scan their relevant original documents as listed below in 200 dpi grey scale and convert to separate pdf files up to 1 mb, before filling in the online Detailed Application Form (DAF). The pdf file so created must not be password protected and it should be uploaded along with the online submission of DAF.

- (I) Scanned copy of the certificate of age.
- (II) Scanned copy of the certificates showing his/her educational qualification prescribed in para 3(iii) of the Notice of the Examination uploaded on the website of Commission and Rule 9 of the Rules of Examination published in the Gazette of India dated 20th March, 2019.
- (III) Scanned copy of the certificate in support of claim to belong to Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Other Backward Classes/EWS (wherever applicable).
- (IV) A scanned copy of Undertaking duly signed by the candidate seeking relaxation as OBC candidate in support of claim of not belonging to creamy layer, to be given in format as mentioned in para B-1 of Appendix I.
- (V) A scanned copy of duly filled in and signed proforma given as Annexure to Detailed Application Form by the Candidate seeking relaxation as OBC candidate.
- (VI) Scanned copy of the certificate in support of claim of age relaxation, wherever applicable.
- (VII) Scanned copy of the certificate in support of claim to being Persons with Benchmark Disability, wherever applicable.
- (VIII) Scanned copy of the certificate in support of claiming age relaxation as persons employed in the GSI and CGWB under Rule 8(c), wherever applicable.
- (IX) Scanned copy of the Undertaking duly signed by the candidate if already in Government Service.

Duly signed copy of the online Detailed Application Form along with originals of the above certificates are required to be produced along with self certified copies of all the documents at the time of interview or within the last day of interview, which will be published in the Commission's Website in due course, failing which their candidature is liable to be cancelled. It may also be noted that in no case the last date of verification of certificates will be extended. Candidate must also note that they should upload only the scanned copies of the original documents and no document is required to be sent by post.

- 2. The information earlier given by candidates in the Application Form for the Examination through online will be cross-checked with the information given by them in this Detailed Application Form online. If there will be any serious discrepancies, their candidature is liable to be rejected / cancelled.
- 3. A candidate who claims to belong to one of the Schedule Castes, the Schedule Tribes or the Other Backward Classes should **upload** in support of his/her claim a scanned copy of the certificate in the form given in **Appendix-I** from the District Officer or the Sub-Divisional Officer or any other officer of the district in which his/her parents (or surviving parent) ordinarily reside. Such an officer should have been designated by the State Government concerned as competent to issue such a certificate. If both his/her parents are dead, the officer signing the certificate should be of the district in which the candidate himself/herself ordinarily resides otherwise than for the purpose of his/her own education.
- 3.1 A candidate who claims reservation benefit under Economically Weaker Section (EWS) should **upload** in support of his/her claim a scanned copy of the Income and Asset Certificate (Certificate of Eligibility).
- **Note 1:** Candidates should note that their SC/ST/OBC/PwBD/Ex-servicemen certificate should be earlier than the closing date of application for Combined Geo-Scientist and Geologist Examination, 2019 [i.e. prior to 16.04.2019] as prescribed in the Rule 23 of the rules for the examination.
- **Note 2:** Candidates of Economically Weaker Section should note that their Income and Asset Certificate should be earlier than 1st August, 2019 as prescribed in the Rule 24 of the rules

for the examination.

Note 3: Candidates claiming to belong to OBCs should note that the name of their caste (including its spellings) as indicated in their certificates, should be exactly the same as published in the lists notified by the Central Government from time to time. A certificate containing any variation in the caste name will not be accepted.

Note 4: The OBC claim of a candidate will be determined in relation to the State (or part of the State) to which his father originally belongs. A candidate who has migrated from one State (or part of the State) to another should, therefore, produce an OBC certificate which should have been issued to him based on his father's OBC certificate from the State to which he (father) originally belongs.

- **Note 5:** No change in the community status indicated by a candidate in his/her application form for the Combined Geo-Scientist and Geologist Examination will be allowed by the Commission except in the circumstances mentioned in the Rule 22 of Combined Geo-Scientist and Geologist Examination Rules, 2019.
- 4. A candidate must fill up and submit online Detailed Application Form along with scanned copies of the relevant documents by using the website www.upsc.gov.in.
- 5. A candidate must upload along with his/her online Detailed Application Form, a scanned copy of certificate of age (indicating his/her date of birth). The date of birth accepted by the Commission is that entered in the Matriculation or Secondary School Leaving Certificate or in a certificate recognised by an Indian University as equivalent to Matriculation or in an extract from a Register of Matriculates maintained by a University which extract must be certified by the proper authority of the University. A candidate who has passed the Higher Secondary Examination or an equivalent Examination may submit a scanned copy of the Higher Secondary Examination certificate or an equivalent certificate.

No other document relating to age like horoscopes, affidavits, birth extracts from Municipal Corporation, Service Records and the like, will be accepted.

The expression Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate in this part of the instructions includes the alternative certificate mentioned above.

Sometimes the Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate does not show the date of birth or only shows the age by completed years or completed years and months. In such cases a candidate must submit in addition to the Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate a scanned copy of the certificate from the Headmaster/Principal of the Institution from where he/she passed the Matriculation/Higher Secondary Examination showing date of his/her birth or his/her exact age as recorded in the Admission Register of the Institution.

Candidates are warned that unless complete proof of age as laid down in these instructions is sent with the application, the candidature of the candidate will be rejected.

6. Candidates are advised to read carefully the Rules of the Examination, which include conditions of eligibility etc. as published in the Gazette of India dated 20th March, 2019. They should note that no correspondence will be entertained by the Commission from candidates to change any of the entries made in the application form. They should, therefore, take special care to fill up the application form correctly.

In case there are any illegible or misleading entries, the candidates will be responsible for the consequences thereof.

7. Candidates are required to indicate in column 21(a) of the application form the posts for which they have qualified on the result of the written part of the examination. In case they have qualified for both the categories of posts they should indicate their order of preference for these Services in column 21(b) so that having regard to the rank in order of merit, due consideration can be given to their preferences when making appointment.

No request for addition/alteration in the preferences indicated by a candidate in his application will be entertained by the Commission.

8. A candidate must upload a scanned copy of a certificate showing his educational qualification prescribed in para 3(III) of the Notice dated 20th March, 2019 for the Examination available on the website of Commission. The certificate submitted must be one issued by the authority (i.e. University or other examining body) awarding the particular qualification.

- Note 1:- A CANDIDATE WHO HOLDS A COMPLETED SECONDARY SCHOOL CERTIFICATE NEED UPLOAD A SCANNED COPY OF THE PAGE CONTAINING ENTRIES RELATING TO AGE ONLY.
- Note 2:-CANDIDATES SHOULD NOTE THAT ONLY THE DATE OF BIRTH AS RECORDED IN THE MATRICULATION/HIGHER SECONDARY EXAMINATION CERTIFICATE OR AN EQUIVALENT CERTIFICATE ON THE DATE OF SUBMISSION OF APPLICATION WILL BE ACCEPTED BY THE COMMISSION AND SUBSEQUENT REQUEST FOR ITS CHANGE WILL BE CONSIDERED OR
- 9. (i) A candidate claiming age-relaxation as a domicile of the State of Jammu and Kashmir should upload a scanned copy of a certificate from the District Magistrate in the State of Jammu and Kashmir within whose jurisdiction he had ordinarily resided or from any other authority designated in that behalf by the Government of Jammu and Kashmir to the effect that he had ordinarily been domiciled in the State of Jammu and Kashmir during the period from the 1st January, 1980 to the 31st day of December, 1989.
- (ii) A candidate disabled while in the Defence Services claiming age concession should upload a scanned copy of the certificate in the form prescribed below from the Director

General Resettlement, Ministry of Defence			
Defence Services in operations during host		eign country or in a distur	bed
area and released as a consequence thereo			
The form of certificate to be produ			
Certified that No.——— Rank——			
was disabled while in the Defence	Services in opera	tions during hostilities wit	th a
foreign country/in a disturbed area* and w	as released as a re	sult of such disability.	
	Signatı	ıre	
		ation	
*Strike out whichever is not applicable			
(iii) Ex-servicemen including Commis		d ECOs/SSCOs claiming	age
concession should upload a scanned copy			
form prescribed below, from the authorities		as applicable to them, in	tiit
(A) Form of certificate applicable f		end narronnal	
It is certified that No Rank date of birth is has rendered servi	Naille	WII	/ A :-
Cate of Dirth is has rendered servi	e iroin to	in Affily/Navy/	All
Force and he fulfils ONE of the following co		1 1 1 1 1	
(a) Has rendered five or more years			
completion of assignment otherw		of dismissal or discharge	on
account of misconduct or inefficien			
(b) Has been released on account of p		ıttributable to military ser	vice
or on invalidment on	•		
Station:			
Date:			
		Name and Designation of	the
		Competent Autho	
			EAĹ
(B) Form of certificate for serving	personnel (Appli		
who are due to be released within one y		subte jer eerting percen	
I hereby certify that, according		nation available with	me
No Rank			
is serving in the Army/Navy/Air Force fro			
specified term of his engagement with the	illied Forces on ti	ie date	••
Place :			
Date:			_
	Sigr	nature of Commanding Off	
		Office S	
Candidates furnishing certificate B	as above will	have to give the follow	ving
undertaking :—			
Undertaking to be given by the candida	ita:		

Undertaking to be given by the candidate :

I understand that if selected on the basis of the Recruitment/Examination to which this application relates, my appointment will be subject to my producing documentary evidence to the satisfaction of the appointing authority that I have been duly

admissible to ex-servicemen in terms of the Ex-Servicemen (Re-employment in Central Civil Service and Posts) Rules, 1979, as amended from time to time. Signature of candidate Place:..... Date:..... (C) Form of Certificate applicable for serving ECOs/SSCOs who have already completed their initial assignment and are on extended assignment. whose date of birth is is serving in the Army/Navy/Air Force from 2. He has already completed his initial assignment of five years on and is on extended assignment till 3. There is no objection to his applying for civil employment and he will be released on three months notice on selection from the date of receipt of offer of appointment. Station: Date:..... Name and Designation of the Competent Authority SEAL Authorities who are competent to issue certificate are as follows:— (a) In case of Commissioned Officers including ECOs/SSCOs. Army—Military Secretary Branch, Army Hqrs., New Delhi. Navy—Directorate of Personnel, Naval Hqrs., New Delhi. Air Force—Directorate of Personnel Officers, Air Hgrs., New Delhi. (b) In case of JCO/ORs and equivalent of the Navy and Air Force. Army—By various Regimental Record Offices. Navy—BABS, Bombay. Air Force—Air Force Records NERW, New Delhi. 10. A candidate claiming to belong to Persons with Benchmark Disability category shall be required to meet one or more of the physical requirement/abilities, as laid down in Rule 21 of the Rules for the Combined Geo-Scientist and Geologist Examination, 2019. He/she must upload a scanned copy of the Certificate of Disability in Form V / Form VI issued by notified Medical Authority of the Central/State Government. NOTE: NOTWITHSTANDING THE AFORESAID PROVISION FOR AGE RELAXATION, A CANDIDATE BELONGING TO PERSONS WITH BENCHMARK CATEGORY WILL BE CONSIDERED TO BE ELIGIBLE FOR APPOINTMENT ONLY IF HE/SHE (AFTER SUCH PHYSICAL EXAMINATION AS THE GOVERNMENT OR THE APPOINTING AUTHORITY, AS THE CASE MAY BE, MAY PRESCRIBE) IS FOUND TO SATISFY THE REQUIREMENTS OF PHYSICAL AND MEDICAL STANDARDS FOR THE COMBINED GEO-SCIENTIST AND GEOLOGIST EXAM TO CANDIDATES BELONGING TO THE PERSONS WITH BENCHMARK CATEGORY BY THE GOVERNMENT. 11. Persons employed in the Geological Survey of India, and Central Ground Water Board, claiming age relaxation under Rule 8(c) should upload a scanned copy of a certificate from Head of their Office/Department in the following form:— Form of Certificate to be produced by Candidates Certified that Shri/Shrimati/Kumari*...... holds a permanent/temporary* post of...... in the Geological Survey of India/ Central Ground Water, Board* w.e.f.... Signature..... Designation..... Ministry/Office..... Office Stamp..... *Strike out whichever is not applicable. 12. The candidates should note that their candidature for the Combined Geo-

released/retired/discharged from the Armed Forces and that I am entitled to the benefits

Scientist and Geologist Examination, 2019 will be purely provisional, subject to their satisfying the prescribed eligibility conditions. If on verification at any stage before or after the examination it is found that they do not fulfil any of the eligibility conditions, their candidature for the examination will be cancelled by the Commission.

Note: Candidates shortlisted for interview on the basis of written result will be required to upload scanned copies of documents/relevant certificates in support of claims made in the on-line application as and when demanded by the Commission.

Originals of the above certificates are required to be produced at the time of interview along with a set of self certified documents.

- 13. Any application filled online without uploading scanned copies of all or some of the documents as mentioned above will entail cancellation of candidature. Any missing enclosures sent subsequently by the candidate will not be entertained.
- 14. In all communications with the Commission regarding this application, the candidate should mention the name of the Examination, his Full Name, Roll Number, Registration I.D. (11 digits) and date of birth.
- 15. Persons in Government service whether in a permanent or temporary capacity or as work charged employees other than casual or daily rated employees or those serving under Public Enterprises are required to **upload** an undertaking (as in the **Declaration in the Detailed Application Form)** that they have informed in writing their Head of Office/ Department that they have applied for the Examination. Candidates should note that in case a communication is received from their employer by the Commission withholding permission to the candidates applying for/appearing at the Examination, their applications will be liable to be rejected/candidature will be liable to be cancelled.

(Please refer Rule 11 of the Combined Geo-Scientist and Geologist Examination Rules, 2019)

The form of the Undertaking to be uploaded by the candidate:

UNDERTAKING (for Government Employees) I have intimated my Head of Office / Department in writing on
that I have applied for the Combined Geo-Scientist and Geologist Examination, 2019.
(Signature)
Name:
Roll No
NOTE: All candidates in Government service, whether in a permanent or in temporary capacity or as work charged employee, other than casual or daily rated

NOTE: All candidates in Government service, whether in a permanent or in temporary capacity or as work charged employee, other than casual or daily rated employees or those serving under Public Enterprises will be required to submit an undertaking that they have informed in writing their Head of Office/Department that they have applied for the Examination. Candidates should note that in case a communication is received from their employer by the Commission withholding permission to the candidates applying for appearing at the examination, their applications will be liable to be rejected/candidature will be liable to be cancelled.

Appendix-I

(A) The form of certificate to be produced by Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates applying for appointment to posts under the Government of India.

This is t	o certify th	at Shri/Shrin	nati/Kuma	ri*		son/daı	ıghter*
of		of	village/tov	vn*	in Di	strict/ Di	vision*
	of the	State/Union	Territory*		belongs to	the	
caste/tribe*	which is re-	cognised as a	Scheduled	Caste/ Sched	duled Tribe*	under :—	
the Constitu	tion (Sched	uled Castes)	Order, 195	0@.			

the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950@.

the Constitution (Scheduled Castes) Union Territories Order, 1951@.

the Constitution (Scheduled Tribes) Union Territories Order, 1951@.

[as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes List (Modification) Order, 1956; the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966; the State of Himachal Pradesh Act, 1970; the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976 the State of Mizoram Act, 1986, the State of Arunachal Pradesh Act, 1986 and the Goa, Daman & Diu (Reorganisation) Act, 1987.]

the Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956@.

the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976. @

the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962.@ the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962.@
the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964.@
the Constitution (Uttar Pradesh) Scheduled Tribes Order, 1967.@
the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968.@
the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968.@
the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970.@
the Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978.@ the Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978.@
the Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1978.@
the Constitution (SC) Order (Amendment) Act, 1990.@
the Constitution (ST) Order (Amendment) Act, 1990.@
the Constitution (ST) Order (Second Amendment) Act, 1991.@
the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 2002.@
the Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Act, 2002.@
the Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Order (Amendment) Act,
2002.@ the Constitution (Scheduled Castes) Order (Second Amendment) Act, 2002.@
%2. Applicable in the case of Scheduled Castes/Scheduled Tribes persons who have migrated from one State/Union Territory Administration to another.
This certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes/Scheduled Tribes certificate issued to Shri/Shrimati* — Father/mother of Shri/Shrimati/
Kumari*————————————————————————————————————
of the State/Union Territory*———— who belongs to the————————————————————————————————————
caste/tribe* which is recognised as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe in the
State/Union Territory* of issued by the
dated
% 3 Shri/Shrimati/Kumari* ————————————————————————————————————
% 3. Shri/Shrimati/Kumari* — and/or* his/her* family ordinarily reside(s) in village/town* of — District/Division* of the State/Union
Testación in vinage, town
Territory* of ————
Territory* of ————. Signature
Signature
Signature* **Designation
Signature
Signature********************************
Signature* **Designation(With Seal of Office) State/Union Territory*
Signature **Designation (With Seal of Office) State/Union Territory*
Signature **Designation
Signature **Designation
Signature **Designation
Signature

- @Government of India, Ministry of Welfare Resolution No.12011/68/93-BCC (C) dated 10th September, 1993 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 186 dated the 13th September, 1993.
- @Government of India, Ministry of Welfare Resolution No.12011/9/94-BCC dated 19.10.94, published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.163 dated 20.10.1994.
- @Government of India, Ministry of Welfare Resolution No.12011/7/95-BCC dated 24.5.95, published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 88 dated 25.5.1995.
- @Government of India, Ministry of Welfare Resolution No.12011/96/94-BCC dated 9th March, 1996 published in Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 60 dated 11th March, 1996.
- @Government of India, Ministry of Welfare Resolution No.12011/44/96-BCC dated 6th December, 1996 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 210 dated 11th December, 1996.
- @Government of India, Ministry of Welfare Resolution No.12011/13/97-BCC dated 3rd December, 1997 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.239 dated the 17th December, 1997.
- @Government of India, Ministry of Welfare Resolution No.12011/99/94-BCC dated the 11th December, 1997 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.236 dated the 12th December, 1997.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/68/98-BCC dated the 27th October, 1999 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 241 dated the 27th October, 1999.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/88/98-BCC dated the 6th December, 1999 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 270 dated the 6th December, 1999.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/36/99-BCC dated 4th April, 2000 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 71 dated the 4th April, 2000.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/44/ 99-BCC dated the 21st September, 2000 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 210 dated the 21st September, 2000.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12015/9/2000-BCC dated the 6th September, 2001 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 246 dated the 6th September, 2001.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/1/2001-BCC dated the 19th June, 2003 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 151 dated the 20th June, 2003.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/4/2002-BCC dated the 13th January, 2004 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 9 dated the 13th January, 2004.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/9/2004-BCC dated the 16th January, 2006 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 10 dated the 16th January, 2006.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/14/2004-BCC dated the 12th March, 2007 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 67 dated the 12th March, 2007.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12015/2/2007-BCC dated 18th August, 2010 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 232 dated the 18th August, 2010.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12015/2/2007-BCC dated 11th October, 2010 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.274 dated the 12th October, 2010.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12015/15/2008-BCC dated 16th June, 2011 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.123 dated the 16th June, 2011.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12015/13/2010-BC-II dated 8th December, 2011 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 257 dated the 8th December, 2011.

- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12015/05/2011-BC-II dated 17th February, 2014 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 41 dated the 17th February, 2014.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/04/2014-BC-II dated the 14th January, 2015 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.16 dated the 14th January, 2015.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/07/2014-BC-II dated the $23^{\rm rd}$ January, 2015 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.26 dated the $23^{\rm rd}$ January, 2015.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/01/2015-BC-II dated the 27th May, 2015 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.144 dated the 27th May, 2015.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12015/05/2011-BC-II dated the 14th July, 2015 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.191 dated the 15th July, 2015.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/06/2014-BC-II dated the 09th September, 2015 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.234 dated the 09th September, 2015.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/13/2016-BC-II dated the 25th May, 2016 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.160 dated the 26th May, 2016.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/14/2016-BC-II dated the 13th June, 2016 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.188 dated the 15th June, 2016.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/15/2016-BC-II dated the 30th June, 2016 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.206 dated the 30th June, 2016.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/04/2014-BC-II dated the 11th August, 2016 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.266 dated the 11th August, 2016.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/06/2014-BC-II dated the 06th December, 2016 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.363 dated the 07th December, 2016.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/13/2016-BC-II dated the 22nd December, 2016 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.374 dated the 22nd December, 2016.

reside(s)	in	village/town*			. of	District/Division*	of	the
		State/Union T	erritory* of .					
This i	is also	to certify that	he/she* do	es not belo	ong to th	ne persons/sections	* (Cre	amy
Layer) mer	ntione	ed in column 3	of the Sche	dule to the	Govern	ment of India, Depa	artme	nt of
Personnel	and	Training O.M.	No. 36012	2/22/93-Es	stt. (SC	Γ) dated 8-9-1993	O.M.	No.
36033/3/2	2004-	Estt. (Res.) da	ted 9th Mar	rch, 2004,	O.M. N	o. 36033/3/2004-E	Stt. (Res.)
dated 14th	n Octo	ber, 2008. and	O.M. No.36	5033/1/20	13-Estt.	(Res.) dated 27th M	Iay, 2	013.
					S	Signature		
					**]	Designation		
						with seal of Office)	State/	U.T.

Place......
Date.....

*Please delete the words which are not applicable.

@Strike out whichever is not applicable.

(B-1) The format of undertaking to be furnished along with the Detailed Application Form by Other Backward Class candidates applying for appointment to posts under the Government of India.

	<u>01</u>	IDEKIAKING			
I		son/daughte:	r of Shri		
	e/Town/City	, .			
_	t I belong to the			•	

as a backward class by the Government of India for the purpose of reservation in services as per orders contained in Department of Personnel & Training Office Memorandum No.36012/22/93-Estt(SCT) dated 08.09.1993. It is also declared that I do not belong to persons/sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the Schedule to the above referred Office Memorandum dated 08.09.1993 and O.M.No.36033/3/ 2004-Estt. (Res.) dated 9.3.2004 and 14.10.2008 and O.M. No.36033/1/2013-Estt. (Res.) dated 27th May, 2013 as amended from time to time.

Signature
Name of the Candidate
Roll No

Note: The term "ordinarily reside(s)" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

**Authorities empowered to issue Other Backward Classes certificate will be the same as those empowered to issue Scheduled Caste/Scheduled Tribe certificates.

Note 1: Candidates claiming to belong to OBCs should note that the name of their caste (including its spellings) as indicated in their certificates, should be exactly the same as published in the lists notified by the Central Government from time to time. A certificate containing any variation in the caste name will not be accepted.

Note 2: The OBC claim of a candidate will be determined in relation to the State (or part of the State) to which his father originally belongs. A candidate who has migrated from one State (or part of the State) to another should, therefore, produce an OBC certificate which should have been issued to him based on his father's OBC certificate from the State to which he (father) originally belongs.

Note 3: No change in the community status already indicated by a candidate in his/her simplified application form for this examination will be allowed by the Commission except in the circumstances mentioned in the Rule 22 of Combined Geo-Scientist and Geologist Examination Rules, 2019.

FORM- IV

Application for Obtaining Certificate of Disability by Persons with Disabilities

(1) N	ame :	(First Name) Mother's Na	
	(Surname)	(First Name)	(Middle Name)
(-) -			
(3) D		//	
	(Date)	(Month) (Year)	
. ,		cation:yea	
		sgender	
` '	ddress:		
(a) Permanent address	(b) Current Addre	ss (i.e. for communication)
_	· \ D · 1 · 1		
•	•	esiding at current addres	SS
(7) E	ducational Status (plea		
	(i) Post Graduat	e	
	(ii) Graduate		
	(iii) Diploma	1	
	(iv) Higher Secon	dary	
	(v) High School		
	(vi) Middle		
	(vii) Primary		
(0)	(viii) Non-literate		
(8)		<i>(:</i>)	
(9)		(i)	(ii)
(10)	Nature of disability:		
(11)			nce year
(12)		y for issue of a certificate	e of disability in the past _ yes/no
	(ii) If yes, details:		المراسم وادار
		whom and district in wh	
(12)	(b) Result of app	olication	sability in the past? If yes, please
(13)		issueu a certificate of dis	sability in the past? If yes, please
6.	nclose a true copy.		

Declaration: I hereby declare that all particulars stated above are true to the best of my knowledge and belief, and no material information has been concealed or misstated. I further state that if any inaccuracy is detected in the application, I shall be liable to forfeiture of any benefits derived and other action as per law.

(signature or left thumb impression of person with disability, or of his/her legal guardian in case of persons with intellectual disability, autism, cerebral palsy and multiple disabilities, etc)

\mathbf{r}	_	4	_	
I)	ค	T	Р.	•

Place:

Enclosures:

- 1. Proof of residence (Please tick as applicable).
 - (a) ration card,
 - (b) voter identity card,
 - (c) driving license,
 - (d) bank passbook,
 - (e) PAN card,
 - (f) passport,
 - (g) telephone, electricity, water and any other utility bill indicating the address of the applicant,
 - (h) a certificate of residence issued by a Panchayat, municipality, cantonment board, any gazetted officer, or the concerned Patwari or Head Master of a Government school,

(i) in case of an inmate of a residential institution for persons with disabilities, destitute, mentally ill, and other disability, a certificate of residence from head of such institution.

2. Two recent passport size photographs

(For office use only)

Date:

Place:

Signature of issuing authority
Stamp

Form-V

Certificate of Disability

(In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs or dwarfism and in case of blindness)

(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (Showing face only) of the person with disability.

				disability.
Certificate No.		Date:		
This is to certif	fy that I have c	arefully examined Shri/	Smt./Kum.	
sc	on/wife/daughte	er of Shri		_ Date of Birth
(DD/MM/YY)	Age	years, male/female		registration
No per	rmanent reside	nt of House No	Ward	/Village/Street
Pos	t Office	District	State _	·
whose photograph is af	ffixed above, and	d am satisfied that:		
(A) he/she is a case of:				
 locomotor disab 	oility			

- dwarfism
- blindness (Please tick as applicable)

(B) the diagnosis in his/her case is _____

locomotor guidelines	ne has % (in r disability/dwarfism/ s (number a	blindness in rel and date of issu	ation to his/he e of the guideli	r (1 nes to be s	part of body) as per specified).	
 The applicant has submitted the following document as proof of residence:- Nature of Document Date of Issue Details of authority issuing 						
				certificate		
		(Si	ignature and Se		norised Signatory of Medical Authority)	
person i	on of the n whose certificate					
		Form Certificate of				
	(Ir (Name and Address	cases of multi	ple disabilities)	ing the Ce	rtificate)	
					Recent passport	
					Recent passport size attested	
					photograph	
					(Showing face only)	
					of the person with	
					disability.	
Certificate	e No.		Date:		•	
Tł	nis is to certify that w					
(DD (125)	son/wife	/daughter of S	Shri		Date of Birth	
(DD/MM)	/YY)Age _	years, male	/female	Registrati	on No.	
permaner	nt resident of House	No.	Ward/Villa	age/Street	Post	
	District d am satisfied that:	State	;,	wnose pn	otograph is allixed	
	ne is a case of Mu	ltiple Disability	. His/her evt	ent of ne	ermanent physical	
	nt/disability has been					
	the guidelines to be					
	ne relevant disability i				,	
S. No	Disability	Affected	Diagnosis	Perma	nent physical	
		part of			ment/mental	
		body		disabi	lity (in %)	
1.	Locomotor disability	(a),				
2.	Muscular Dystrophy					
3.	Leprosy cured					
4.	Dwarfism					
5.	Cerebral Palsy					
6.	Acid attack Victim					
7.	Low vision	#				
8.	Blindness	#				
9.	Deaf	£				
10.	Hard of Hearing	£				
11.	Speech and	d l				
	Language disability					

_	ertificate	No. certify that I h	nave care	Date:	ed Shri/Smt			
C	ertificate	No.		Date:				
						only) of	face the with	
		,			J 72	Recent passi		
					Disability ntioned in Fo	orms V and VI) uing the Certificate)		
is	issued.							
		of disability						
•		of disability						
ре	erson in	whose favour						
in	npression	n of the						
Si	ignature	/ thumb						
						Chairperson		
N	ame and	Seal of Member	er Na	me and Seal	of Member	Name and Seal	of the	
5.	Sig	gnature and sea	al of the	Medical Autho	ority.	1		
						certificate		
IN	ature of	document	Da	ate of issue		Details of authority issuing certificate		
					ocument as pr	roof of residence:-	·	
	£	e.g. Left/R						
	#	e.g. Single		armo, rego				
	(a)	eg Left/r	right/hot	ו) (DD) th arms/legs	MM) (YY)			
		certificate sha	ll be vali					
	(ii)					months, and therefore	ore this	
	()	or	,					
٥.	(i)	not necessary	•					
		ndition is progr ssment of disab	,	ion-progressiv	re/likely to in	nprove/not likely to imp	rove.	
						percent		
		:`			S	1 //		
						t physical impairment to be specified), is as fol		
(E		Sickle Cell dis		ia/han arran d	11	t physical impairmant	00 000	
		Thalassemia						
		Haemophilia						
	18.	Parkinson's di						
ŀ	17.	Multiple sclere	osis					
	10.	Conditions	ologicai					
ŀ		Mental illness Chronic Neur						
	1.5	Disorder						
Ī	14.		ectrum					
	13.	Disability	carming					
-	13	Disability Specific Le	earning					
	12.	Intellectual						

Birth (DD	/MM/YY	/)	Age		_ years, male,	/fema	le Registration
No		perman	ent residen	it o	f House No.		Ward/Village/Street
	Post(Office	Dıstı	1ct		Sta	ate,
whose pl	hotograp						he/she is a case of
							e physical impairment/
							and date of issue of the
							ility in the table below:-
S. No	Disabil	ity	Affected		Diagnosis		Permanent physical
			part	of			mpairment/mental
			body			(disability (in %)
1.		otor disability					
2.		lar Dystrophy					
3.	Leprosy						
4.		al Palsy					
5.	Acid at	tack Victim					
6.	Low vis	sion	#				
7.	Deaf		€				
8.	Hard of	f Hearing	€				
9.	Speech	and	1				
	Langua	ge disability					
10.	Intellec	tual					
	Disabil	ity					
11.	Specific	c Learning	g				
	Disabil	ity					
12.	Autism	Spectrun	1				
	Disorde	er					
13.	Mental	illness					
14.		c Neurologica	1				
	Conditi						
15.		e sclerosis					
16.		son's disease					
	Haemo						
	Thalass						
19.		Cell disease					
10.	OICKIC (cer disease					
		the disabilities				relv t	o improve/not likely to
improve.	DOVE COI	idition is pro	ogressive, in	,,, L	rogressive, in	iciy t	o improve/ not intery to
-	ssment o	of disability is:					
(i) not nec		-	•				
` '		ded/after	vears			mont	ths, and therefore this
		valid till (DD				1110110	are, and therefore this
		both arms/le					
# - eg. Sir			,8º				
€ - eg. Lef							
			the followin	g do	ocument as pr	roof o	f residence:-
Nature of			Date of issue		ourier as pr		ails of authority issuing
Tracaro or	aocamo		sate of loou.				ificate
						0010	
			(Aut	hor	ised Signatory	of no	otified Medical Authority) (Name and Seal)
0: /::	, ,						(
Signature/t							Countersigned
impression					{Co	unter	signature and seal of the
person in				Chi	,		Medical Superintendent/
	favour certificate of Head of Government Hospital, in case the						

Certificate is issued by a medical authority who is not a Government servant (with seal)

disability is issued

Note.- In case this certificate is issued by a medical authority who is not a Government servant, it shall be valid only if countersigned by the Chief Medical Officer of the District.

FORM - VIII

[Intimation of rejection of Application for Certificate of Disability]

·	
No	_ Dated :
Го,	
(Name and address of Discontinuous of Di	
for Certificate of Disa Sub: Rejection of Application	n for Certificate of Disability
Sir/ Madam,	is for definited to bisdomy
· ·	application dated for issue of a Certificate of Disability
Medical Authority on	ove application, you have been examined by the undersigned/, and I regret to inform that, for the reasons mentioned ssue a Certificate of Disability in your favour:
3. In case you are agg	rieved by the rejection of your application, you may represent ing for review of this decision.
•	Yours faithfully, (Authorised Signatory of the notified Medical Authority) (Name and Seal)
FORM OF CERT	FICATE TO BE PRODUCED BY EWS CANDIDATES
	Government of
(Name & A	ddress of the authority issuing the certificate)
	INCOME & ASSET CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS
	Certificate No Date:
	Date
	VALID FOR THE YEAR
wife of	at Shri/Smt./Kumari
III. Residential plot o	of 100 sq. yards and above in notified municipalities; of 200 sq. yards and above in. areas other than the notified
2. Shri/Smt./Kuma	ri belongs to the caste which is not neduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes
	Signature with seal of Office
Docont	Name
Recent Passport Size attested	Designation

photograph of the applicant

- *Note l: Income covered all sources i.e. salary, agriculture, business, profession, etc.
- **Note 2: The term 'Family" for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years
- his/her spouse and children below the age of 18 years

 ***Note 3: The property held by a "Family' in different locations or different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.